(5)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भरतपुर

(पीठासीन अधिकारी: घनश्याम शर्मा, आर0ए0एस0)

पत्रावली संख्या : 35/2025 अपील

1. दिलीप
2. कुमरसिंह
3. गंगासिंह

पिसरान मुरारीलाल जाति कुशवाह निवासी सिरसौदा तहसील रूपवास जिला भरतपुर।

अपीलांट

बनाम

अनीता पत्नी स्व0 ओमप्रकाश जाति जाटव निवासी सिरसौदा तहसील रूपवास जिला भरतपुर।

रेस्पो0

अपील अंतर्गत धारा 225 राज0टी0एक्ट विरूद्ध आज्ञा दिनांक 12.09.2025 तहसीलदार रूपवास बावत प्रकरण सख्या 02/2024 उनवानी अनीता बनाम दिलीप वगै0 प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183बी राज0काश्त0 अधिनियम।

उपस्थिति :

1. श्री दिनेश शर्मा अभिभाषक अपीलांट
2. श्री विजय सिंह कुन्तल अभिभाषक रेस्पो0

निर्णय

दिनांक : 23.04.2026

अपीलांट ने अपील मय प्रार्थना पत्र धारा 5 म्याद अधिनियम अंतर्गत धारा 225 राज0टी0एक्ट विरूद्ध आज्ञा दिनांक 12.09.2025 तहसीलदार रूपवास बावत प्रकरण सख्या 02/2024 उनवानी अनीता बनाम दिलीप आदि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183बी राज0 काश्त0 अधिनियम प्रस्तुत की है। अपीलाधीन आदेश की पालना में अपीलांट को अतिक्रमी मानते हुये विवादित आराजी से अतिक्रमण को हटवाये जाने की अपीलाधीन आज्ञा पारित की गई है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पो. को तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय की तहत पत्रावली तलब की गयी।

अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अभिभाषक अपीलांट द्वारा अपील में अंकित कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि अपील का सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट द्वारा तहत न्यायालय में एक वाद अन्तर्गत धारा 183बी राज0 काश्त0 अधिनियम के तहत पेश किया गया है जिसमें आराजी खसरा नम्बर 8 वाके ग्राम रूंध रूपवास के विरूद्ध प्रस्तुत किया जिसमें प्रार्थीगण अपीलांट ने अपना जबाब दावा पेश किया किन्तु जबाब पर बिना गौर किये तहत अदालत द्वारा बिना तनकीयात

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

कायम करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। आराजी खसरा नम्बर 8 रकबा 8.070 वाके ग्राम रूंध रूपवास के खातेदार चन्द्रवती पत्नी विष्णु, अनीता पत्नी ओमप्रकाश व तुलाराम पुत्र खिवली कौम जाटव खातेदार काश्तकार है जबकि तहत अदालत में अनीता पत्नी ओमप्रकाश द्वारा ही दावा पेश किया गया है। आराजी खसरा नम्बर 8 रूंध रूपवास की रेस्पोडेन्ट ने कोई पैमाइश रिपोर्ट पेश नही की है और न ही पैमाइश कराई गई है, उसने दावा में अंकित किया है कि कितने रकबा पर किसने कब्जा कर लिया है और न ही रेस्पोडेन्ट का सडक के दिशा पश्चिम में कोई रकबा ही स्थित है। महज एक सरसरी प्रार्थना पत्र के आधार पर अदालत तहत ने अपीलाधीन आदेश पारित कर कानूनी गलती की है। अपीलांट का खातेदारी का खसरा नम्बर 920 रकबा 2.12 बीघा कस्बा रूपवास में स्थित है जबकि रेस्पोडेन्ट का रकबा खसरा नम्बर 8 वाकेग्राम रूंध रूपवास में स्थित है जो रूपवास से जटमासी को निकली है उसमें अपीलांट का 12 बिस्वा सार्वजनिक निर्माण विभाग ने अधिग्रहण किया है जस पर रोड निकली हुई है। रेस्पोन्डेन्ट ने कोई मौका रिपोर्ट पेश नही की है और न ही जटमासी को जो रोड निकली है उसका कोई रिकार्ड पेश नही किया है कि उनकी खातेदारी का कोई रकबा उसमें गया हो तथा न ही ऐसा कोई रिकार्ड प्रस्तुत किया है जिसमें सडक जटमासी वाली रूंध रूपवास में होकर निकली हो जबकि अपीलांट ने उसका 12 बिस्वा सडक में जाने का रिकार्ड पेश किया गया है मगर तहत अदालत ने इस ओर ध्यान नही दिया है। खसरा नम्बर 920 कस्बा रूपवास अपीलांट के कब्जे व खातेदारी का रकबा है जिसमें से 12 बिस्वा सडक रूपवास से जटमासी से सडक निकली हुई है तथा शेष 2 बीघा रकबे पर अपीलांट काबिज है जो सडक से लगा हुआ है। रेस्पोडेन्ट ने अपीलांट के विरूद्व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रूपवास में दावा पेश किया था जिसके साथ 212 प्रार्थना पत्र भी पेश किया तथा रेस्पो0 का प्रार्थना पत्र धारा 212 आरटीए दिनांक 25.4.2025 को खारिज कर दिया गया। तहत अदालत ने इस ओर ध्यान न देकर कानूनी गलती है और नियमों के विपरीत होने के कारण व प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत आदेश पारित किया गया है। तहत अदालत द्वारा अपने निर्णय में उल्लेख किया है कि आराजी खसरा नम्बर 8 प्रार्थी की जमीन पर अतिक्रमण पाया जाता है तो कब्जा दिये जाने के आदेश दिये जाते है, इससे स्पष्ट है कि तहत अदालत ने रेस्पोडेन्ट को आराजी पर कब्जा है या नही स्पष्ट नही किया है। अपीलाधीन आदेश की जानकारी अपीलांट को नही थी दिनांक 12.11.2025 को रेस्पोडेन्ट ने अपीलांट को धमकी दी कि उसके पक्ष में निर्णय हो गया है अब वह तुम्हारी जमीन पर जबरन कब्जा करेगी तब अपीलांट ने दिनांक 13.11.2025 को नकल हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया जिसकी नकल प्राप्त उसी दिन हुई तथा जानकारी से अपील अन्दर म्याद पेश की जा रही है फिर भी म्याद अवधि को कण्डोन करने हेतु पृथक से धारा 5 म्याद अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेश किया जा रहा है। अपीलांट ने अपील के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत 1996 आरआरडी पेज 84, 2023 आरबीजे पेज 149(आरएचसी), 2023 आरबीजे पेज 668(एससी) पेश

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

किये गये है और अंत में निवेदन किया है कि अपीलांटान स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 12.9.2025 को निरस्त किये जाने की प्रार्थना की है।

अभिभाषक रेस्पोडैन्ट ने कथन किया है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 8 रकबा 8.070 वाके ग्राम रूंध रूपवास के खातेदार चन्द्रवती पत्नी विष्णु, अनीता पत्नी ओमप्रकाश व तुलाराम पुत्र खिवली कौम जाटव खातेदार काश्तकार है तथा प्रार्थियां का खेत रूंध रूपवास व रूपवास की सीमा का निर्धारण हेतु मुडडी गढी हुई है जो रूंध रूपवास व कस्बा रूपवास की सीमाओ का निर्धारण होता है, राजस्व नक्शे के आधार पर रूपवास जटमासी रोड रूंध रूपवास व रूपवास में होकर गुजरता है। पटवारी रिपोर्ट अनुसार अप्रार्थीगण की खातेदारी कस्बा रूपवास के खसरा नम्बर 919व 920 हाल 1083, 1084 में से होकर नही गुजरता है बल्कि प्रार्थी की खातेदारी में होकर निकलता है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट दिनांक 11.2.2025 में स्पष्ट किया है कि विवादित्त भूमि रूंध रूपवास की है एवं उस पर अतिक्रमणकर्त्ता द्वारा अतिक्रमण किया हुआ है तदानुसार ही तहत अदालत द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश उभयपक्ष की सुनवाई करने के पश्चात् ही प्रार्थीयां के पक्ष में पारित किया गया है जो उचित है। अभिभाषक रेस्पो0 ने कथन किया है कि अपीलाधीन आदेश की जानकारी अपीलांट को प्रार्थना पत्र के दर्ज रजिस्टर करने के बाद नोटिस जारी किये गये तथा उनके अधिवक्ता नियुक्त हुये व सम्पूर्ण कार्यवाहियों में अपीलांट स्वयं व जरिये अभिभाषक उपस्थित थें तहत अदालत में जब अपीलांट सम्पूर्ण कार्यवाही में उपस्थित हुये तो उन्हे अपीलधीन आदेश की जानकारी नही थी ऐसी सूरत में प्रस्तुत अपील अपीलांट द्वारा स्पष्ट रूप से अपील म्याद बाहर पेश की है और देरीना को माफ करने का उचित कारण अंकित नही किया गया है ऐसी सूरत में अपील अपीलांट खारिज किये जाने योग्य रहती है तथा अपने कथन के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत 2004 आरआरटी पेज 1009 व 1985 आरआरडी पेज 446तथा 2016 सीटी पार्ट 2 पेज 457 पेश किया है। अंत विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी द्वारा अपील अपीलान्टान खारिज फरमाई जाने की प्रार्थना की है।

हमने वकील उभयपक्ष की बहस तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपील में प्रथमतः प्रार्थना पत्र मियाद अधिनियम धारा–5 पर विचार किया गया। आर.आर.डी. पेज 37 में माननीय उच्च न्यायालय ने प्रतिपादित किया है कि:–

> ^^Limitation Act,1963 Section 5&While considering the question of condonation of delay in filing of revision , appeal or reference by state Govt. the Court,Tribunal or Authority has to first consider merists of the matter and where there is good case on merits the rule is to condone result in public mischief on skilful management of delay in the process of filing appeal etc. and public at large
> would be sufferer that makes a distinction and category of litigant state as compared to ordinary litigants^^

तथा आर0बी0जे0(4)1997 पेज 257, माननीय राजस्व मण्डल अजमेर ने प्रतिपादित किया है कि–
^^ Liberal view should be Taken in Cononding The Dely in Filling The appeal^^

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

इस प्रकार प्रकरण के गुणावगुण पर विचार कर निर्णय किया जाना उचित पाते है। अतः अपील प्रस्तुतीकरण में हुई देरी के संदर्भ में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दफा–5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है। अपीलाधीन आदेश तहत न्यायालय द्वारा दिनांक 12.09.2025 को पारित किया गया है जिसमें आराजी खसरा नम्बर 08 रकबा 8.07 बीघा पर प्रार्थिया अनीता पत्नि ओमप्रकाश 112/167 हि0ब0 तुलाराम पुत्र शिवली हि0 55/187 जाति जाटव निवासी सिरसौदा रूपवास खातेदार है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट दिनांक 11.2.2025 के अनुसार विवादित आराजी ग्राम रूंध रूपवास की है तथा अप्रार्थीगण का उक्त भूमि पर कब्जा किया हुआ है। अप्रार्थीयां का कथन है कि राजस्व ग्राम रूपवास एवं रूंध रूपवास की सीमा का निर्धारण नक्शा में प्रदर्शित होता है कि जटमासी रूपवास रोड राजस्व ग्राम नक्शे की सीमा चिन्ह (मुडडी) संख्या 60 के सामने से रूंध रूपवास से होकर गुजरता है जो उसकी खातेदारी का ख0न08 स्थित है। जबकि अपीलांट का मानना है कि उक्त सडक जटमासी रूपवास रोड उसके खातेदारी के खसरा नम्बर 920 रकबा 2.12 बीघा में से 12 बिस्वा में से निकला है जिसकी सार्वजनिक निर्माण विभाग के दस्तावेजी साक्ष्यों से पुष्टि होती है किन्तु उसे मुआवजा राशि आराजी की तरमीम नही होने के कारण प्राप्त नही हुई है। पटवारी रिपोर्ट दिनांक 11.2.2025 से स्पष्ट होता है कि अप्रार्थीया (अनीता) के ख0न08 पर अपीलांट का अतिक्रमण है तथा विवादित आराजी ख0न0 8 के सबंध में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रूपवास से स्थगन प्रार्थनापत्र को दिनांक 23.04.2025 को खारिज किया जा चुका है। अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत प्रकरण पर चस्पा नही होते है। प्रकरण में तहत अदालत द्वारा उभयपक्ष की नियमानुसार सुनवाई कर आदेश पारित किया गया है जिसमें तहत अदालत द्वारा मुताबिक रिपोर्ट पटवारी हल्का रूंध रूपवास, सहायक अभियंता सा0नि0वि0 उपखण्ड रूपवास के पत्र एवं उपलब्ध दस्तावेजो के आधार पर प्रार्थी की जमीन पर अपीलांट का कब्जा होना पाया गया है। इस प्रकार अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार की त्रुटि नही होने के कारण अपील अपीलांट खारिज किये जाने योग्य पाते है।

अतः आज्ञा है कि:–

उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील प्रार्थीगण खारिज की जाती है। अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.09.2025 को यथावत रखा जाता है। तहसीलदार रूपवास को निर्णय प्रति सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जावें। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो बाद तक्मील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 23.04.2026 को सरे इजलास सुनाया गया।

(घनश्याम शर्मा)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
भरतपुर